

## लक्ष्मीनारायण रामगोपाल एण्ड सन्स लिमिटेड

बनाम

हैदराबाद सरकार

(एस. आर. दास, भगवती एवं जगन्नाथ दास न्यायमूर्ति)

स्वामी और नौकर- प्रधान और अभिकर्ता -बीच मे अन्तर-हैदराबाद अतिरिक्त लाभ कर विनियमन-गतिविधियां जो कि व्यापार स्थापित करती है, पारिश्रमिक जो कि व्यापार से आय, लाभ अथवा फायदा का गठन करती है।

स्वामी और नौकर तथा प्रधान और अभिकर्ता के संबंधो मे यह अन्तर कहा जा सकता है कि एक प्रधान को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि अभिकर्ता को क्या काम करना है लेकिन एक स्वामी को यह भी अधिकार है कि ऐसे कार्य को कैसे किया जाना है।

एक अभिकर्ता, एक नौकर एवं स्वतंत्र ठेकेदार की स्थिति निम्नानुसार अलग होती है:-

एक अभिकर्ता को एक तरफ से नौकर एवं दूसरी तरफ से एक स्वतंत्र ठेकेदार से अलग किया जा सकता है। एक नौकर अपने मालिक के प्रत्यक्ष नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है और अपने काम के दौरान उसे दिये गए सभी उचित आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है,

एक स्वतंत्र ठेकेदार दूसरी तरफ हस्तक्षेप के किसी भी नियन्त्रण से पूरी तरह स्वतन्त्र है और केवल एक निर्दिष्ट परिणाम उत्पन्न करने के लिए अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करता है। एक अभिकर्ता यद्यपि अपने प्रधान/प्रिंसिपल के द्वारा समय-समय पर दिये गए सभी विधिपूर्ण निर्देशों के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य है एवं अपने कार्यों में वह अपने प्रधान के सीधे नियन्त्रण अथवा पर्यवेक्षण के अधीन नहीं है। एक अभिकर्ता, जैसे तो एक नौकर नहीं है लेकिन एक नौकर आम तौर पर कुछ उद्देश्यों के लिए अपने स्वामी का निहित अभिकर्ता होता है, संस्था की सीमा तक नौकर का कर्तव्य अथवा स्थिति पर निर्भर करती है।

अभिनिर्धारित, अपीलार्थीगण की स्थिति उपरोवर्णितानुसार सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में एवं संस्था करार की शर्तों के परिपेक्ष्य में दीवान बहादुर रामगोपाल मिल्स लिमिटेड के अभिकर्ताओं के रूप में तथा निदेशकों के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कम्पनी के व्यवसाय का सामान्य प्रबन्धन करने की थी। निदेशकों का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण एक सामान्य नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण था एवं अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपीलार्थीगण कम्पनी के अभिकर्ताओं के रूप में सामान्य प्रबंधन का कार्य किस प्रकार एवं किस तरीके से किये जाने के संबंध में उत्तम विवेक रखते थे एवं इस प्रकार प्रकरण की परिस्थितियां संस्थाओं के संगम के तहत शक्तियों को उप प्रत्यायोजित करने हेतु आरक्षित होने का संदेह से परे स्थापित हुआ कि

अपीलार्थीगण कम्पनी के अभिकर्तागण थे एवं केवल मात्र कम्पनी से मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त किये जाने के कारण नौकर नहीं थे।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि विभिन्न कारक अवधि का नियतन, पारिश्रमिक कि प्रकृति एवं उनके अधिकारों का निर्धारण सहित यह साबित करने में पर्याप्त थे कि अपीलार्थीगण के कार्य/गतिविधियां कम्पनी के अभिकर्ताओं के रूप में एक व्यापार का निर्धारण करता था एवं संस्था करार के तहत अपीलार्थीगण द्वारा प्राप्त करने वाले पारिश्रमिक व्यापार से होने वाली आय, लाभ अथवा फायदा था एवं अपीलार्थीगण हैदराबाद अतिरिक्त लाभ कर विनियमन के प्रावधानों के तहत सही रूप से आंकलन किया गया था।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार - दीवानी अपीलें संख्या 292 एवं 312/1950

हैदराबाद न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश (अंसारी कमर हासन एवं मनोहर प्रसाद न्यायाधिपतिगण) के प्रकरण संख्या 180-181/1954 से अपीलें

वेद व्यास, (एस.के. कपूर एवं गणपत राय साथ में) अपीलार्थीयों की तरफ से

एम.सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी, (पोरूस ए. मेहता साथ में) प्रत्यर्थी की तरफ से

1 अप्रैल, 1954 न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति भगवती के द्वारा प्रसारित किया गया।

उपरोक्त दो अपीलें हैदराबाद न्यायक्षेत्र के उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश अपीलार्थियों की तरफ से भेजे गए कुछ प्रश्नों के अतिरिक्त लाभ कर हैदराबाद के आयुक्त द्वारा दिये गए उत्तरों एवं अपीलार्थियों की अतिरिक्त लाभ कर जो कि उनके द्वारा दीवान बहादुर रामगोपाल मिल्स कम्पनी लिमिटेड के अभिकर्ताओं के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक के निर्धारण के संबंध में है।

मिल्स कम्पनी उस समय के महामहिम निजाम के क्षेत्र हैदराबाद में 14 फरवरी, 1920 को पंजीकृत की गई थी। अपीलकर्ताओं को 01 मार्च, 1920 को बाँम्बे में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 20 अप्रैल, 1920 को अपीलकर्ताओं को अभिकर्ता के रूप में शर्तों एवं स्थितियों के अधीन 30 वर्ष के लिए अभिकर्ता नियुक्त किये जाने के संबंध में मिल्स कम्पनी एवं अपीलकर्ताओं के बीच अभिकरण करार किया गया था। अपीलकर्ताओं ने मिल्स कम्पनी के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य किया एवं फसली वर्ष 1351 एवं 1352 के लिए उन्होंने अभिकरण करार की शर्तों के अधीन पारिश्रमिक प्राप्त किया। अतिरिक्त लाभ कर अधिकारी हैदराबाद द्वारा विनियमन की धारा 13 के तहत एक नोटिस अपीलकर्ताओं को इन प्रभार्य लेखांकन अवधियों से संबंधित कर की राशि का भुगतान

करने के लिए दिया गया था। अपीलकर्ताओं के द्वारा अपने खाते पेश किये गए एवं यह कहा गया कि मिल्स कम्पनी से उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक इस आधार पर कर योग्य नहीं था कि यह व्यापार से प्राप्त आय लाभ अथवा फायदा नहीं था एवं अतिरिक्त लाभ कर विनियमन के दायरे से बाहर था। अपीलकर्ताओं के उक्त तर्क को नकारा गया एवं अतिरिक्त लाभ कर अधिकारी के द्वारा 24 अप्रैल, 1944 को अपीलकर्ताओं की आय लेखांकन अवधि 1351 व 1352 फसली के लिए 8,957 रुपये एवं 83,768 की आय निर्धारण करने का आदेश दिया एवं उक्त आय पर कर का निर्धारण किया। अपीलकर्ताओं के द्वारा अतिरिक्त लाभ कर के उपायुक्त के समक्ष अपील की गई जो अस्वीकार की गई। अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 48 (2) के तहत हाईकोर्ट को प्रकरण के कथनों के लिए पेश प्रार्थना पत्र आयुक्त द्वारा खारिज की गई एवं अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में धारा 48 (3) के तहत एक याचिका आयुक्त को हाईकोर्ट को प्रकरण बताने के लिए बाध्य करने के लिए पेश की। इस याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त को प्रकरण बताने के लिए निर्देश देने का आदेश किया गया एवं प्रकरण का विवरण आयुक्त द्वारा 26 फरवरी, 1946 को प्रस्तुत किया गया। आयुक्त द्वारा निम्नानुसार चार प्रश्न उच्च न्यायालय को भेजे गए:-

1- क्या याचिकाकर्ता कम्पनी एक साझेदारी फर्म है अथवा एक पंजिकृत फर्म है?

2- क्या करार की शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता मिल्स कम्पनी का एक कर्मचारी है अथवा व्यवसाय कर रहा है?

3- क्या मिल्स से प्राप्त पारिश्रमिक सेवा के कारण है अथवा व्यवसाय/व्यापार के लिए पारिश्रमिक है?

4- क्या अतिरिक्त लाभ विनियमन की धारा 2 खंड (4) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धान्त याचिकाकर्ता कम्पनी पर लागू है?

उपरोक्त प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे एवं उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को निर्णय हेतु भेजा गया। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपना निर्णय प्रश्न संख्या 2 एवं 3 को निर्णित करते हुए बहुमत से सुनाया जो कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध रैफर किये जाने के संबंध में निर्धारक माने जाने वाले प्रश्न थे। अपीलकर्ताओं द्वारा न्यायिक समिति के समक्ष अपील की गई लेकिन न्यायिक समिति द्वारा सुनवाई से पहले हैदराबाद के क्षेत्रों का भारत में विलय हो गया। अपील अंततः 12 दिसम्बर, 1950 को उच्चतम न्यायालय की हैदराबाद पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु आई। जब अपील को दिल्ली में इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया। ये अपीलें सुनवाई एवं अन्तिम निस्तारण हेतु हमारे समक्ष आई हैं। हैदराबाद उच्च न्यायालय को आयुक्त द्वारा भेजे गए प्रश्न संख्या 1 एवं 4 हमारे सामने गंभीरता से नहीं रखे गए हैं।

क्या अपीलकर्ता एक साझेदारी फर्म है अथवा पंजिकृत कम्पनी आय का व्यावसायिक आय की श्रेणी से बाहर रखने का सिद्धान्त पूरी तरह से अथवा मुख्य रूप से करदाता की व्यक्तिगत योग्यता रखने पर लागू नहीं होगा क्योंकि व्यवसाय से आय एवं न तो साझेदारी फर्म एवं न ही पंजिकृत कम्पनी के बारे में कहा जा सकता है कि उस आय के अधिग्रहण के मामले में उसके पास कोई व्यक्तिगत योग्यता है।

मुख्य प्रश्न जिनके संबंध में हैदराबाद उच्च न्यायालय व हमारे समक्ष बहस की गई, वो प्रश्न संख्या 2 एवं 3 थे जिनमें अपीलकर्ताओं की स्थिति का इस बाबत निर्धारण था कि क्या वे मिल्स कम्पनी के नौकर थे अथवा अभिकर्ता और उनके पारिश्रमिक की प्रकृति का निर्धारण क्या हो? व्यापार/व्यवसाय से होने वाली मजदूरी, आय, लाभ या फायदा था।

अपीलकर्ताओं को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजिकृत किया गया था जिसका पंजिकृत कार्यालय बाँम्बे में था एवं जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें शामिल किया गया वो निम्नलिखित थे:-

1- सरकारों या प्राधिकरणों या किसी बैंकर, निर्माता, व्यापारी, शिपर्स, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं अन्य के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करना एवं अभिकरण/संस्था के सभी प्रकार के कार्यों का चलाना।

2- भारत और अन्य जगहों पर व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों के व्यापार अथवा व्यवसाय को उनकी सभी शाखाओं वगैरह में जारी रखना।

मिल्स कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 115 के तहत अपीलकर्ताओं एवं उनके सहयोगियों को कम्पनी के संगठन का ज्ञापन के खण्ड 6 में निर्दिष्ट करार में निर्धारित नियमों प्रावधानों और शर्तों पर कम्पनी का अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 116 यह बताता है कि निदेशकों के नियन्त्रण व पर्यवेक्षण के अधीन कम्पनी के व्यवसाय का सामान्य प्रबंधन कम्पनी के अभिकर्ताओं के हाथों में होना चाहिए। इस तरह के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन सभी अनुबंधों में प्रवेश करने और कम्पनी के मामलों के प्रबंधन में या इसके उद्देश्यों को पूरा करने में सामान्य, आवश्यक और वांछनीय अन्य सभी चीजें करने के लिए और नियुक्त करने व नियोजित करने की शक्ति थी। कम्पनी के मामलों व व्यवसाय के लेनदेन तथा प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए या अन्यथा तब के उद्देश्यों के लिए और समय-समय पर ऐसे प्रबंधकों, अभिकर्ताओं लिपिकों एवं अन्य कर्मचारियों को हटाने या निलंबित करने के लिए जैसा कि वे उचित समझते थे। ऐसी शक्तियों के साथ ऐसी शर्तों में जो कि रोजगार की अवधि, पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा कि वे उचित समझते थे तथा कम्पनी के ज्ञापन के खण्ड 6 में उल्लेखित उक्त करारों द्वारा उन्हें आरक्षित और प्रदान किये गए सभी अधिकारों व स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने की शक्तियां भी थी, करार के खण्ड 4 में निहित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं सहित।

अनुच्छेद 118 अभिकर्ताओं को कुछ समय के लिए उनमें निहित सभी या किसी भी शक्ति, प्राधिकरण एवं विवेक को उप प्रत्यायोजित करने तथा

विशेष रूप से समय-समय पर प्रबंधन और लेनदेन के लिए एक अटॉर्नी/वकील या अटॉर्नीयों/वकीलों की किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में ऐसे तरीकों के लिए जैसा वो उचित समझते हो, नियुक्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है।

अभिकरण करार जो कि अनुच्छेद 115 के तहत नियुक्ति के संबंध में निष्पादित किया गया है, में यह प्रावधान है कि अपीलार्थीगण एवं उनके सहयोगी कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 30 वर्ष की अवधि तक अभिकर्तागण थे एवं उनके द्वारा तब तक कार्य किया जाता जब तक वे स्वयं की इच्छा से इस्तीफा नहीं दे देते। अपीलार्थीयों का अभिकर्ताओं के रूप में पारिश्रमिक कंपनी के सभी यार्न, कपड़े व अन्य उपज (उगाए हुए कपास सहित) की बिक्री आय की राशि पर 1/2 प्रतिशत का कमिशन था जो कमिशन किसी भी पारिश्रमिक से अथवा बैंकर्स, साँलिस्टर्स, इंजिनियरों वगैरह जो कि अपीलकर्ताओं अथवा कंपनी की तरफ से अदा की जाने वाली मजदूरी से अलग था। अपीलकर्ताओं को कम्पनी के व्यवसाय व उसके पर्यवेक्षण व प्रबंधन के संबंध में वास्तव में उसके द्वारा किये गए सभी खर्चों व शुल्कों का अतिरिक्त भुगतान किया जाना था और अपीलकर्ता बाँम्बे में और कम्पनी के व्यवसाय के सिलसिले में किन्हीं अन्य स्थानों पर अपने अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने के अधिकारी थे।

अभिकरण करार के खण्ड 3 व 4 महत्वपूर्ण हैं एवं इनका विस्तार किया जा सकता है:-

3- निदेशकों के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन उक्त लक्ष्मीनारायण रामगोपाल एवं सन्स लिमिटेड के पास कम्पनी के व्यवसाय और मामलों का सामान्य आचरण एवं प्रबंधन होगा एवं जिन्हें कम्पनी की तरफ से खरीद पट्टे अथवा अन्य प्रकार से भूमि किराये पर लेने, प्राप्त करने तथा हैदराबाद एवं महामहिम निजाम के क्षेत्राधिकार में कहीं एवं भारत में कारखानों, गोदामों, इंजन हाउस व अन्य भवनों का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन, विस्तार करने व मशीनरी इंजन संयंत्र की खरीद, भुगतान, बिक्री, पुनर्विक्रय और पुनर्खरीद तथा कच्चा कपास अपशिष्ट जूट एवं अन्य फाइबर, उपज भण्डार एवं अन्य सामग्री और सूती कपड़ा एवं अन्य फेब्रिक को बनाने एवं उसे या तो उक्त क्षेत्रों में या भारत में कहीं पर भी बेचने एवं या तो क्रेडिट पर या नकद अथवा वर्तमान या भविष्य में प्रदान करने के लिए और पक्षकारों के बीच में निष्पादित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां सभी लिखतों, करारों, संविदाओं, रसीदों एवं अन्य दस्तावेजों को पंजिकृत करने के लिए आवश्यक हो और कम्पनी की सम्पत्ति का ऐसे उद्देश्यों एवं ऐसे सीमाओं तक एवं ऐसे तरीकों में जो वो उपयुक्त समझे को बीमा करने तथा संस्थित करने, चलाने बचाव करने, समझौता करने, मध्यस्थता करने एवं कानूनी तथा अन्य कार्यवाहियां, दावे एवं विवाद जिससे कम्पनी चिंतित है उन्हें त्यागने तथा इंजिनियरों,

प्रबंधकों, खुदरा कमीशन डीलरों को नियुक्त करना, उन्हें नियोजित करना या प्रतिस्थापित करना, दलालों, लिपिकों, कारीगरों, कामगारों एवं अन्य अधिकारियों व नौकरों को कार्यालय की अवधि, पारिश्रमिक या अन्यथा जो वे उचित समझे, ऐसी शक्तियां व कर्तव्यों के साथ जैसा वो उपयुक्त समझे और सुरक्षा के साथ व उसके बिना विनिमय व हण्डियां के बिलों को निकालने, स्वीकार करने, समर्थन करने, बातचीत करने, बेचने व कम्पनी को देय या प्राप्त होने वाले सभी पैसे के लिए रसीद प्राप्त करने व देने तथा कम्पनी के पैसे के खिलाफ चैक जारी करने व आमतौर पर ऐसी सभी व्यवस्थाएं करना, कम्पनी व उसके सभी उत्तराधिकारियों या सहयोगियों से ऐसे सभी कार्य व व्यवस्थाएं करना जो आवश्यक अथवा उपाय करने एवं जो कि विशेष रूप से निदेशकों द्वारा किये जाने के लिए आरक्षित नहीं हो, किये जाने का अधिकार रखते हैं।

4- उक्त लक्ष्मीनारायण रामगोपाल एवं सन्स लिमिटेड कम्पनी के उद्देश्य के लिए आवश्यक कपास, सभी कच्चे माल, वस्तुओं की बिक्री व कम्पनी से खरीदे धागों की बिक्री से कम्पनी के साथ सौदा करने के लिए स्वतंत्र होगी। कपड़ा और कम्पनी द्वारा निर्मित अन्य सभी वस्तुएं और अन्यथा किसी भी फर्म के साथ सौदा करने के लिए जिसमें उक्त लक्ष्मीनारायण रामगोपाल एवं सन्स लिमिटेड के शेयरधारकों में से कोई भी शेयरधारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चिंतित हो, सौदा कर सकती है,

बशर्ते ऐसे सौदे से पहले अथवा सौदे के बाद निदेशकों के बोर्ड द्वारा स्वीकृत, पारित अथवा अनुसमर्थित किया गया हो।

खण्ड 8 में यह प्रावधान है कि अपीलकर्ताओं के दो सदस्य कंपनी के पदेन निदेशक बनने के लिए अपीलकर्ताओं के विकल्प पर थे। और खण्ड 9 अपीलकर्ताओं को बोर्ड के अनुमोदन एवं स्वीकृति के अधीन करार करने एवं अपीलकर्ताओं के अधिकारों को निर्दिष्ट करने किसी भी व्यक्ति फर्म अथवा कंपनी जो अपने संविधान द्वारा अधिकारिता रखने वाले को अपीलकर्ताओं द्वारा लिये गए बाध्यताओं से बाध्य करती है।

अपीलकर्ताओं द्वारा आयकर प्राधिकारियों अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष इनके अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं रखी गई थी एवं उक्त सामग्रीयों के आधार पर हमारे समक्ष उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को निर्धारित किया जाना है। यदि इन दस्तावेजों के विवेचन पर हम यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलकर्ताओं की स्थिति नौकरों की नहीं थी लेकिन कंपनी के अभिकर्ताओं की थी तो आगे यह प्रश्न निर्धारित करना होगा कि क्या अपीलकर्ताओं के कार्य/गतिविधियां व्यवसाय चलाने के समान थी। यदि वे कंपनी के नौकर नहीं थे तो पारिश्रमिक जो वो प्राप्त करते थे, निश्चित रूप से मजदूरी अथवा वेतन नहीं होगा लेकिन यदि वे कंपनी के अभिकर्ता थे तो यह सवाल अभी भी बना रहेगा कि क्या उनकी गतिविधियां व्यवसाय चलाने के समान थी, जिस मामले में उनके द्वारा

कंपनी की तरफ से प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक, व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय, लाभ अथवा फायदा होगा।

एक नौकर एवं एक अभिकर्ता के बीच पाँचवेल की एजेन्सी के कानून में पृष्ठ संख्या 16 पर अंतर दर्शाया गया है:-

(ए) सामान्यतः एक मालिक अपने नौकर को यह बता सकता है कि क्या करना है एवं कैसे करना है।

(बी) सामान्यतः एक प्रधान अपने अभिकर्ता को यह नहीं बता सकता कि उसके निर्देशों का पालन कैसे किया जाये।

(सी) एक नौकर एक अभिकर्ता की तुलना में अधिक पूर्ण नियन्त्रण में होता है एवं पृष्ठ 20 पर भी:-

(ए) सामान्यतः एक नौकर वह व्यक्ति होता है जो न केवल अपने मालिक से निर्देश प्राप्त करता है बल्कि उन निर्देशों को निष्पादित करने के तरीके को नियंत्रित करने की अपने मालिक के अधिकार के अधीन होता है। एक अभिकर्ता अपने प्रधान के निर्देश प्राप्त करता है लेकिन आमतौर पर उन निर्देशों को अपने विवेक के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए स्वतन्त्र होता है।

(बी) सामान्यतः एक नौकर को नौकर के रूप में अपने मालिक की ओर से संविदा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सामान्यतः एक

अभिकर्ता काे नियुक्त करने का उद्देश्य उसे अपने प्रधान की ओर से संविदा करने हेतु अधिकृत करना है।

(सी) सामान्यतः एक अभिकर्ता अपने प्रधान द्वारा दिये गए निर्देश की पालना मे परिणाम प्राप्त करने पर कमीशन द्वारा उसे भुगतान किया जाता है। सामान्यतः एक नौकर को मजदूरी अथवा वेतन के जरिये भुगतान किया जाता है।

हेल्सबरी के इंग्लेण्ड के कानून- हेल्शम संस्करण खण्ड 2 पृष्ठ संख्या 113 एवं पेराग्राफ 192 मे निहित कानून का विवरण इस संबंध मे निर्दिष्ट किया जा सकता है:-

मालिक और नौकर तथा प्रधान और अभिकर्ता के बीच संबंधो को इस प्रकार कहा जा सकता है- "एक प्रधान को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि अभिकर्ता को क्या काम करना है लेकिन एक स्वामी को यह भी निर्देशित करने का अधिकार है कि कार्य किस प्रकार किया जाना है।" हेल्सबरी के इंग्लेण्ड के कानून-हेल्शम संस्करण खण्ड 1 पृष्ठ 193 अनुच्छेद 345 मे स्थिति को और स्पष्ट किया गया है जहां एक अभिकर्ता, एक नौकर एवं स्वतंत्र ठेकेदार की प्रायः स्थिति विशिष्ट बताई गई है। "एक अभिकर्ता को एक नौकर से एवं दूसरी तरफ एक स्वतंत्र ठेकेदार से अलग किया

जाना चाहिए। एक नौकर अपने मालिक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है एवं उसके कार्य के अनुसरण में उसे दिये गए सभी उचित आदेशों का पालन करने के लिए वह बाध्य है, दूसरी तरफ एक स्वतंत्र ठेकेदार किसी भी नियंत्रण या हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र होता है तथा केवल एक निर्दिष्ट परिणाम उत्पन्न करने का कार्य करता है एवं उस परिणाम को उत्पन्न करने के लिए अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करता है। एक अभिकर्ता, हालांकि अपने अधिकार का सभी कानूनी निर्देशों के अनुसार प्रयोग करने के लिए बाध्य है जो उसे अपने प्रधान द्वारा समय-समय पर दिये जा सकते हो। अपने कार्यों के संबंध में वह सीधा अपने प्रधान के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन नहीं है। एक अभिकर्ता, एक नौकर नहीं है लेकिन एक नौकर सामान्यतः अपने स्वामी का कुछ उद्देश्यों के लिए निहित अभिकर्ता होता है। अभिकरण की सीमा नौकर के कर्तव्य अथवा स्थिति पर निर्भर करती है।”

उपरोक्त सिद्धान्तों की रोशनी में अपीलकर्ताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निसंदेह सत्य है कि अपीलकर्ता कंपनी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते थे एवं निदेशकों के नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए कंपनी के व्यवसाय का सामान्य प्रबंधन करते थे। इसका यह

मतलब नहीं है कि वे अपने तरीके अथवा काम के तरीके के संबंध में निदेशकगण के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करते थे। निदेशकगण सामान्य नीति निर्धारण करने एवं प्रबंधन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये जाने हेतु अधिकृत थे लेकिन कंपनी के व्यवसाय का दिन प्रतिदिन प्रबंधन जैसा की संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 116 एवं एजेन्सी करार के खण्ड 3 में वर्णित किया गया है, वहाँ अपीलकर्ताओं के विवेक के अधीन था एवं अपीलकर्ताओं को कंपनी ने अभिकर्ताओं के रूप में क्या कार्य करना है के अलावा निदेशकगण को यह अधिकार नहीं था कि सामान्य प्रबंधन का कार्य कैसे किया जाना है, के संबंध में निर्देश दिया जावे। निदेशकों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण एक सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण था एवं अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपीलकर्ताओं को कंपनी के अभिकर्ताओं के रूप में सामान्य प्रबंधन के संबंध में पद्धति व तरीके एवं किस प्रकार किया जावे के संबंध में स्पष्ट विवेक था। अपीलकर्ता उदाहरण के लिए इस उद्देश्य के लिए तथा इस हद तक एवं इस तरह के समझौतों और अनुबंध करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थी जैसा वो उचित समझते थे। उनके पास कंपनी के अधिकारियों व सेवकों को ऐसी शक्तियां व कर्तव्यों के साथ तथा कार्यालय की अवधि, पारिश्रमिक या अन्यथा शर्तों पर नियुक्त करने, नियंत्रित करने, बर्खास्त करने पुनर्नियोजित करने, बदलने की शक्ति थी जैसा वे उचित समझते थे। उनके पास आमतौर पर ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने तथा कंपनी की तरफ से ऐसी सभी चीजें व कार्य करने की शक्ति थी

जो आवश्यक या समीचीन हो सकती थी एवं जो विशेष रूप से निदेशकों द्वारा किये जाने के लिए आरक्षित नहीं थी। इन शक्तियों में निदेशकगण का अपने नौकर पर अपने स्वामी के रूप में सीधा नियंत्रण व पर्यवेक्षण शामिल नहीं था बल्कि अपीलकर्ताओं में कंपनी के अभिकर्ता शामिल थे जिन्हें निदेशकों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करना था लेकिन ऐसी कार्यवाहियों में प्रधानों के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण का विषय नहीं था। अभिकरण करार के खण्ड 4 के तहत अपीलकर्ताओं को कंपनी के साथ वस्तुओं की बिक्री एवं खरीद के जरिये सौदा करने की स्वतंत्रता दी गई थी। ऐसी स्वतंत्रता मालिक और नौकर के बीच संबंध नहीं बताई लेकिन अपीलकर्ताओं को कंपनी के साथ प्रमुख के रूप में यह होते हुए भी सौदा करने के लिए अधिकृत किया कि करार के खण्ड 8 के तहत उनके दो सदस्यों को कुछ समय के लिए कंपनी का पदेन निदेशक होना था। करार करने की शक्ति एवं अपीलकर्ताओं के अभिकरण करार खण्ड 9 के तहत आरक्षित अधिकारों जो कि बोर्ड के अनुमोदन एवं स्वीकृति के अधीन शायद ही एक शक्ति थी जिसे एक नौकर में निहित किया जा सकता था। कंपनी के अभिकर्ताओं के रूप में अपनी सेवा/रोजगार पंजीकरण तिथि से 30 वर्ष की अवधि के लिए लगातार किये जाने का अधिकार था एवं इसके उपरांत जब तक अपीलकर्ताओं के द्वारा अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया जाता तब तक चालू था जो अपीलकर्ताओं की सेवा/रोजगार कंपनी के नौकरों के रूप में शायद ही होगी। कंपनी की उपज

की बिक्री, आय की राशि में से 2½ प्रतिशत कमीशन के माध्यम से पारिश्रमिक, प्रधान द्वारा अपने अभिकर्ता को प्रधान के व्यवसाय के सामान्य प्रबंधन को चलाने के लिए दी गई मजदूरी या वेतन की तुलना में अधिक पारिश्रमिक है जो आमतौर पर इस आधार पर नहीं होता है। अनुच्छेद 118 के तहत शक्ति को उप प्रत्यायोजित करने के साथ समस्त परिस्थितियां हमारी राय में अपीलकर्ताओं को कंपनी के अभिकर्ता होना स्थापित करती है एवं केवल मात्र कंपनी के नौकर मजदूरी अथवा वेतन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले नौकर नहीं थे, भले ही अपीलकर्ताओं की स्थिति कंपनी के एजेंटों की थी न कि नौकरों की, जैसा कि उपर बताया गया है यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि उनके द्वारा अभिकरण करार के तहत जो कार्य किया गया वो व्यवसाय चलाने के समान था जिससे उनके द्वारा व्यवसाय के आय, लाभ अथवा फायदे से पारिश्रमिक प्राप्त किया गया। हमारे समक्ष लिया गया यह तर्क कि अपीलकर्ताओं द्वारा मिल्स कंपनी के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य किया गया एवं और कुछ नहीं एवं इस प्रकार उनके द्वारा क्या किया गया, उनसे व्यवसाय का किया जाना गठित नहीं होता है, अपीलकर्ताओं को लाभ प्रदान करने वाला नहीं है। एक व्यवसाय को स्थापित करने के लिए गतिविधियों का कई व्यक्तियों अथवा व्यक्ति से संबंधित होना जरूरी नहीं है। केवल एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित होने के बावजूद वे व्यवसाय का गठन करेंगे, इस पर विचार करना प्रासंगिक है कि इन गतिविधियों की प्रकृति व दायरा क्या है। हालांकि, संयोग से या

डिजाइन के अनुसार यह केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित हो सकते हैं। इन गतिविधियों की प्रकृति या दायरा ही है न कि संचालन की सीमा जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। अतिरिक्त लाभ कर विनियमन, हैदराबाद की धारा 2 के खण्ड 4 में व्यवसाय की दी गई समावेशी परिभाषा के अंतर्गत अपीलकर्ताओं की गतिविधियां निश्चित रूप से नहीं आती हैं। व्यवसाय को किसी भी व्यापार, वाणिज्य या निर्माण, व्यापार या किसी पेशे या व्यवसाय की प्रकृति में साहसिक कार्य को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है लेकिन इसमें किसी व्यक्ति द्वारा या साझेदारी के व्यक्तियों द्वारा किसी भी पेशे को शामिल नहीं किया गया है। यदि लाभ का पेशा पूरी तरह से या मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं पर निर्भर करता है जब तक कि ऐसे पेशे में पूरी तरह से या मुख्य रूप से अन्य व्यक्तियों से अनुबंध करना या अनुबंध बनाने के संबंध में वाणिज्यिक प्रकृति की सलाह देना शामिल न हो। अपीलार्थियों द्वारा अभिकरण करार की शर्तों के तहत किया गया कार्य न तो व्यापार, वाणिज्य अथवा निर्माण की प्रकृति में साहसिक कार्य था और न ही यह कोई पेशा या व्यवसाय था। गतिविधियां जो व्यवसाय को स्थापित करती हैं जरूरी नहीं कि उनमें व्यापार वाणिज्य अथवा विनिर्माण या किसी पेशे या व्यवसाय के अभ्यास में होने वाली गतिविधियां शामिल हों। इनमें दूसरों को सेवाएँ प्रदान करना भी शामिल हो सकता है जो सेवाएँ भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं जो विचार व्यक्तियों के मामले में यह निर्धारित करने में लागू होती है कि उपर

दी गई समावेशी परिभाषा के भीतर गतिविधियां एवं व्यवसाय का गठन करती है अथवा नहीं, निगमित कंपनियों के मामलों में लागू नहीं हो सकती है। हालांकि, व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां उस अर्थ में व्यवसाय बन सकती हैं जब व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं तो उस अर्थ में वे ऐसा व्यवसाय नहीं बन सकती हैं जब निगमित कंपनियों द्वारा की जाती हैं और इसका सहारा लेना ही होगा। कानून में सामान्य स्थिति यह निर्धारित करने के लिए है कि निगमित कंपनी व्यवसाय कर रही थी या नहीं, ताकि उसके द्वारा अर्जित आय, लाभ अथवा फायदे का गठन किया जा सके। इस संदर्भ में विलियम एस्प्लेन सन और स्वेनस्टन लिमिटेड बनाम अंतर्देशिय राजस्व आयुक्त 1919- 2 केबी 731 उस मामले में नौसेना आर्किटेक्ट और परामर्श इंजिनियरों के रूप में व्यवसाय चलाने के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया था। कंपनी के गठन से पहले कंपनी के एकमात्र शेयरधारक और निदेशक बनने वाले तीन व्यक्तियों के बीच कई वर्षों तक साझेदारी अस्तित्व में थी। साझेदारी ने नौसेना वास्तुकारों एवं परामर्श इंजिनियरों के पेशे को आगे बढ़ाया था और कंपनी द्वारा किया गया कार्य पूर्व में साझेदारी द्वारा किये गए कार्यों के समान था जो सफल हुआ। कंपनी द्वारा किया गया कार्य सभी प्रकार से एक पेशेवर नौसेना वास्तुकार एवं परामर्श इंजिनियर द्वारा किये गए कार्य के समान था और कंपनी ने उक्त तीन शेयरधारक निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया गया था। एक प्रश्न उठा कि क्या कंपनी द्वारा वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1915 की

धारा 39 के पैराग्राफ 'सी' के अर्थ के अंतर्गत कोई पेशा किया जा रहा था। यह तर्क दिया गया कि यह नौसेना वास्तुकारों और परामर्श इंजिनियरों के पेशे का कार्य करती है क्योंकि इसे बनाने वाले तीन नौसेनिक वास्तुकार थे। उक्त तर्क हालांकि अस्वीकार कर दिया गया एवं यह निर्धारित किया गया था कि भले ही जिस चीज को देखा जाना था, वह कंपनी द्वारा किये गए कार्य की प्रकृति थी। यह धारा के अर्थ के अंतर्गत नौसेना वास्तुकारों के पेशे को नहीं किया जा रहा था क्योंकि इसके लिए उद्देश्य यह था कि मुनाफा/लाभ मुख्य रूप से उस व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर होना चाहिए जिसके द्वारा इसे चलाया गया था और वह केवल एक व्यक्ति ही हो सकता है। ऐसी कंपनी एक नौसेना वास्तुकार का काम केवल अपने ग्राहकों के पास नौसेना वास्तुकार को भेजकर ही कर सकती है जो वे करना चाहते थे एवं यह माना गया था कि कंपनी द्वारा कोई पेशा नहीं किया जा रहा था लेकिन शब्द के सामान्य अर्थों में व्यापार या व्यवसाय किया जा रहा था। जब एक साझेदारी फर्म अस्तित्व में आती है तो उसके बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक व्यवसाय चलाती है क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सभी या उनमें से कोई सभी की तरफ से कार्य किया जा रहा है। (इंदरचन्द, हरिराम बनाम आयुक्त आयकर विभाग उत्तरप्रदेश एवं सी.पी. को देखें) लेकिन जब कोई निगमित होती है

तो यह जरूरी नहीं है कि वो एक व्यवसाय चलाने के उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आई हो। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई भी सात या अधिक व्यक्ति (अथवा बनने वाली कंपनी एक व्यक्तिगत कंपनी होगी वहां दो तथा अधिक व्यक्ति) किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए संघ के ज्ञापन में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

एक निगमित कंपनी बनाते हैं तथा जिस विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए व्यक्ति जुड़े होते हैं, इससे आवश्यक रूप से व्यवसाय चलाना नहीं हो सकता है जब किसी कंपनी को कुछ गतिविधियों को करने के लिए निगमित किया जाता है तो यह जानना सुसंगत होगा कि किन उद्देश्यों के लिए कंपनी निगमित हुई है। जैसा कि लॉर्ड स्टर्नडेल, एम.आर. के द्वारा इंग्लैंड राजस्व आयुक्त बनाम दा बार कोरियन सींडिकेट लिमिटेड में देखा गया था।

"यदि आप एक बार व्यक्ति और कंपनी का खर्च बिल्कुल एक ही आधार पर कर ले तो उनमें कोई अंतर नहीं होगा लेकिन यह तथ्य कि लिमिटेड कंपनी एक अलग तरीके से अस्तित्व में आती है विचार करने का विषय है। एक व्यक्ति कई उद्देश्यों के लिए या शायद कभी कभी किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं, अस्तित्व में आता है जबकि एक सीमित कंपनी किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आती है एवं

यदि ये रियायतों का अधिकार प्राप्त करने और उन्हें खाते में बदलकर लेनदेन करने के विशेष उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आती है तो यह एक विचारणीय विषय है जब आप निर्णय लेते हैं कि क्या ऐसा करना व्यवसाय चलाना है या नहीं।”

जस्टिस रावलट ने लॉर्ड स्टर्नडेल, एम.आर के इंग्लैंड राजस्व आयुक्त बनाम बर्मिंघम थिएटर रॉयल एस्टेट कंपनी लिमिटेड, 1923 में प्रकरण के उपरोक्त दृष्टीकोण का पालन किया एवं यह धारित किया कि

”जब आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उद्यम का एक निश्चित स्वरूप व्यवसाय कर रहा है या नहीं, तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या ये एक कंपनी है जो ऐसा कर रही है।”

संघ के ज्ञापन में निर्धारित एक निगमित कंपनी के उद्देश्य निश्चित रूप से इस सवाल का निश्चयक नहीं है कि क्या कंपनी की गतिविधियां चालू रखने या व्यवसाय करने के बराबर है (देखें इंडियन लॉ रिपोर्ट्स 55 कलकत्ता 1059) तथा (1951, 19 आई.टी.आर. 571) लेकिन वे ऐसी

गतिविधियों की प्रकृति एवं दायरे के निर्धारण के उद्देश्य के लिए सुसंगत है।

इस मामले में अपीलकर्ताओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सरकारों या प्राधिकरणों या किसी बैंकर, निर्माताओं, व्यापारियों, शिपर्स, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं अन्य के लिए अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करना एवं एजेन्सी के सभी प्रकार के व्यवसाय को चलाना था। यह उद्देश्य स्वयं अपने दायरे में कंपनी के अभिकर्ताओं के रूप में अपीलकर्ताओं की गतिविधियों को शामिल करेगी तथा कंपनी के व्यवसाय के सामान्य प्रबंधन के माध्यम से एक एजेन्सी व्यवसाय के रूप में उनके द्वारा किये गए कार्य का गठन करेगी सभी प्रकार के व्यवसाय को करने, “उनके सामान्य विवरण में उस कार्य को शामिल करने में सक्षम थे जो अपीलकर्ता द्वारा सरकारों, प्राधिकारियों अथवा किसी बैंकर, निर्माताओं, व्यापारियों, शिपर्स के अभिकर्ता के रूप में एवं अन्य जब उन्होंने कम्पनी के अभिकर्ता के रूप में कार्य किया जो कपास के टुकड़े के सामान के निर्माता थे तो वे इस वस्तु के अर्थ के भीतर एजेन्सी व्यवसाय कर रहे होंगे। हालांकि, इसके अलावा एक और तथ्य यह है कि कंपनी के व्यवसाय के सामान्य प्रबंधन में अपीलकर्ताओं की गतिविधियों के संचालन में निरन्तरता थी। अपीलकर्ताओं ने संघ अनुच्छेद के अनुच्छेद 116 एवं अभिकरण करार के खण्ड 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के भीतर प्रबंधन का कार्य किया गया जिसमें कई और निरन्तर संचालन शामिल थे और अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई

सेवायें शामिल थी। अपीलकर्ता निदेशकों के बोर्ड द्वारा कंपनी के साथ सौदे से पहले या पश्चात विक्रय एवं विभिन्न वस्तुओं की खरीद के जरिये सौदा करने के लिए ऐसी कोई स्वीकृति अथवा अनुसमर्थन द्वारा अधिकृत थे। अभिकरण करार में अपीलकर्ताओं को अन्य निर्माताओं, संयुक्त स्टॉक कंपनियों वगैरह के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने हेतु रोकने के लिए प्रावधान नहीं था एवं अपीलकर्ता अन्य अभिकर्ताओं के रूप में कार्य कर सकते थे। उपरोक्त सभी कारकों को कार्यकाल की निश्चितता, पारिश्रमिक की प्रकृति एवं उनके अधिकारों की नियति को साथ में रखकर विचार करने से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ताओं की गतिविधियां कंपनी के अभिकर्ताओं के रूप में एक व्यवसाय का गठन करती हैं और अपीलकर्ताओं द्वारा अभिकरण करार की शर्तों के तहत कंपनी से प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक आय, लाभ अथवा व्यवसाय से प्राप्त लाभ था। अपीलकर्ताओं का इस प्रकार अतिरिक्त लाभ कर के लिए सही रूप से निर्धारण किया गया था एवं इन अपीलों को सव्यय खारिज किया जाना चाहिए।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया (आर.एच.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।